

डीएलएफ लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: सोपिन मॉल, तीसरा तल, अर्जुन मार्ग,
फ्लैट-1, डीएलएफ रिजर्व, न्यू गुरुग्राम - 122 002 (हरियाणा)
CIN : L79101HR1963PLC0094494
फोन : 91-124-4534200
वेबसाइट: www.dlf.in, ई-मेल : investor-relations@dlf.in

**60वीं वार्षिक आम बैठक के आयोजन और लामांश के भुगतान के लिए रिकॉर्ड तिथि निर्धारित करने की सूचना**

- कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के लागू प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, यथा संशोधित ('सूचीबद्धता विनियम') के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सामान्य परिपत्र सं. 9/2024 दिनांक 19 सितम्बर 2024, सामान्य परिपत्र सं. 9/2023 दिनांक 25 सितम्बर 2023, सामान्य परिपत्र सं. 10/2022 दिनांक 28 दिसम्बर 2022, सामान्य परिपत्र सं. 2/2022 दिनांक 5 मई 2022, सामान्य परिपत्र सं. 2/2021 दिनांक 13 जनवरी 2021, सामान्य परिपत्र सं. 20/2020 दिनांक 5 मई 2020, सामान्य परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020 तथा अन्य लागू परिपत्रों ('एसबीए परिपत्रों') तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ('सेबी') द्वारा जारी किए गए परिपत्र सं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर 2024 ('सेबी परिपत्र') (संयुक्त रूप से 'परिपत्रों') के रूप में 'सदस्यों' के अनुपालन में एजीएम के आयोजन की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए डीएलएफ लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 60वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') सोमवार, 4 अगस्त 2025 को दोपहर 12.30 बजे (आईएसटी) विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों ('ओएवीएम') द्वारा आयोजित की जाएगी। सदस्यगण वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होने के लिए सक्षम होंगे। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यगणों की गणना अधिनियम की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के प्रयोजन हेतु की जाएगी।
- अधिनियम, सूचीबद्धता विनियम और परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय वर्ष (वि.व.) 2024-25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट (एकल एवं समेकित वित्तीय विवरण, लेखापरीक्षाओं की रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट, एजीएम की सूचना एवं अन्य दस्तावेज सहित) कंपनी के उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएगी जिनके ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत है। इसके अलावा वेब-लोक, क्यूआर कोड और वि.व. 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट एक्सेस करने का सही पथ प्रदान करने वाला एक पत्र उन सदस्यों को भेजा जाएगा जिन्होंने अपनी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं की है। उपरोक्त कथित दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.dlf.in और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यथा बीएसई लिमिटेड ('बीएसई') और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('एनएसई') क्रमशः www.bseindia.com एवं www.nseindia.com तथा नेशनल सिंग्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल'), ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए कंपनी द्वारा नियुक्त एजेंसी की वेबसाइट <https://www.evoting.nsdl.com> पर भी उपलब्ध होंगे।
- ई-मेल आईडी पंजीकृत/अपडेट कराने की प्रक्रिया:
 - भौतिक प्रारूप में इविटरी शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिन्होंने अपना ई-मेल पता कंपनी/रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के पास पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपना नाम, फोनिमो नम्बर और पूरा पता, विधिवत् भरा गया फॉर्म आईएसआर-1, सेबी मास्टर परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी/पी/सीआईआर/2025/91 दिनांक 23 जून 2025 के अनुसार अन्य संगत फॉर्म एवं विवरण सहित हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र के साथ कंपनी/आरटीए के पास इसे पंजीकृत/अपडेट कराएं।
 - डिजिटल रिजल्टाइज्ड प्रारूप में इविटरी शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिन्होंने अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने डोमेन खाते का रखरखाव करने वाले डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट कराएं।
- ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने की प्रक्रिया:
 - सदस्यों के पास इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ('ई-वोटिंग') के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय पर अपना वोट देने का अवसर होगा।
 - डिजिटल रिजल्टाइज्ड प्रारूप या भौतिक प्रारूप में इविटरी शेयर धारण करने वाले सदस्यों और ऐसे सदस्य जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे वोटिंग और एजीएम में ई-वोटिंग की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है। सूचना कंपनी की वेबसाइट www.dlf.in और बीएसई एवं एनएसई की वेबसाइट क्रमशः www.bseindia.com एवं www.nseindia.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट <https://www.evoting.nsdl.com> पर भी उपलब्ध होंगी।
 - ई-वोटिंग की सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध होगी और एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है, केवल वे ही ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम में अपना वोट देने के लिए सक्षम होंगे।
 - ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने हेतु लॉगइन क्रेडेंशियल्स सदस्यों को ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। सदस्यगण जो ई-मेल प्राप्त नहीं करते हैं या जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत नहीं है, वे एजीएम की सूचना में नोटस में दिये गये निर्देशों का पालन करके लॉगइन क्रेडेंशियल्स जनरेट/प्राप्त कर सकते हैं।
 - यह लॉगइन क्रेडेंशियल्स वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के लिए उपयोग किये जा सकते हैं।
- लामांश के भुगतान के लिए रिकॉर्ड तिथि:
 - कंपनी ने 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुसूचित लामांश के भुगतान के लिए सदस्यों की पात्रता के निर्धारण के लिए सोमवार, 28 जुलाई 2025 को 'रिकॉर्ड तिथि' के रूप में निर्धारित किया है।
 - एजीएम में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन, लामांश एजीएम की समाप्ति के बाद अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समय के भीतर उन सदस्यों को भुगतान किया जाएगा (i) जिनके नाम रिकॉर्ड तिथि को कंपनी को सदस्यों के रजिस्ट्रार में शामिल होंगे, और (ii) डिजिटल रिजल्टाइज्ड प्रारूप में धारित इविटरी शेयरों के मामले में रिकॉर्ड तिथि को व्यवसाय घंटी की समाप्ति पर जिनके नाम लामांश खातियों के रूप में एनएसडीएल और नेशनल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('डिपॉजिटरीज') द्वारा प्रस्तुत की गई लामांश खातियों की सूची में शामिल होंगे।
 - लामांश का भुगतान उन सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से किया जाएगा जिन्होंने अपना बैंक खाता विवरण अपडेट करवाया है।
 - वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसरण में लामांश का भुगतान लागू दूरों पर सोत पर कर कटौती ('टीडीएस') के अधीन होगा। विस्तृत विवरणों के लिए कृपया एजीएम की सूचना में दिये गये नोटस को देखें और कंपनी की वेबसाइट www.dlf.in देखें।
- लामांश प्राप्त करने के लिए मंडेट पंजीकृत कराने की प्रक्रिया:
 सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना पूरा बैंक विवरण पंजीकृत/अपडेट कराएं:
 - डिजिटल रिजल्टाइज्ड प्रारूप में धारित इविटरी शेयरों के संबंध में अपने डिपेट खाते का रखरखाव करने वाले अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों द्वारा अपेक्षित फॉर्म एवं दस्तावेज जमा करके अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास इसे पंजीकृत/अपडेट कराएं, और
 - भौतिक प्रारूप में धारित इविटरी शेयरों के संबंध में सेबी मास्टर परिपत्र सं. सेबी/एचओ/एमआईआरएसडी/एमआईआरएसडी-पीओडी/पी/सीआईआर/2025/91 दिनांक 23 जून 2025 के अंतर्गत वर्णित अपेक्षित फॉर्म एवं विवरण के साथ विधिवत् भरा गया फॉर्म आईएसआर-1 एवं अन्य संगत विवरण अपने पंजीकृत ई-मेल आईडी से investor-relations@dlf.in या einward.ris@kfintech.com पर भेजकर, उनके साथ इसे पंजीकृत/अपडेट कराएं। अपेक्षित फॉर्म कंपनी की वेबसाइट <https://www.dlf.in/investor> और आरटीए की वेबसाइट <https://ris.kfintech.com/clientservices/isc/isrforms.aspx> पर भी उपलब्ध हैं।
- सदस्यों से अनुरोध है कि एजीएम की सूचना में दिये गये सभी नोटस और विशेषकर एजीएम में शामिल होने के निर्देश तथा रिमोट ई-वोटिंग/एजीएम में ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने की प्रक्रिया यथा लामांश के भुगतान के विवरणों को भली-भांति पढ़ लें।

कृते डीएलएफ लिमिटेड
हस्ता /—
(आर पी. पुजारी)
कम्पनी सचिव

12 जुलाई 2025
गुरुग्राम